अंशुली आर्या, भा.प्र.से.
खान आयुक्त-सह-प्रधान सचिव
Anshuli Arya, IAS
Principal Secretary-Cum-Mines Commissioner

बिहार सरकार
Govt. of Bihar

खान एवं भूतत्व विभाग
बिहार सरकार
विकास भवन, पटना–800 015
Department of Mines & Geology
Government of Bihar
Vikas Bhawan, Patna - 800 015
Tel : 0612-2215857 (Off.)
Fax 0612-2232930
E-mail secymine-bih@nic.in

सं0सं0–2/एम0एम0 (बा0)–09/14–................../एम0, पटना, दिनांक–........................

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता

विषयः– लघु खनिज बालू का विक्रय मूल्य निर्धारण करने के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक 2158 दिनांक 18.05.2018 तथा 3192 दिनांक 01.08.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि प्रसंगाधीन विभागीय पत्र द्वारा संसूचित विभागीय निदेश के बावजूद आपके प्रभाराधीन जिलान्तर्गत लघु खनिज बालू के विक्रय मूल्य का निर्धारण नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि अद्यतन समय में बालू के मूल्य में अप्रत्याशित वृद्धि हो गयी है, जिससे निर्माण कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तथा जनसामान्य को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 24.11.2018 को विभागीय समीक्षा के दौरान बालू के मूल्य वृद्धि पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है तथा दर को कम करने हेतु विस्तृत निदेश दिये गये हैं।

अतएव अनुरोध है कि अपने प्रभाराधीन जिलान्तर्गत लघु खनिज बालू का अद्यतन विक्रय मूल्य (Pit Head) निर्धारित करते हुए यह भी सुनिश्चित किया जाय कि स्थानीय माँगों की भी शत प्रतिशत पूर्ति हो। **इसलिए अविलम्ब Pit Head पर निर्धारित दर के अतिरिक्त जिला के ट्रान्सपोर्टरों से भी बैठक कर बालू का अधिकतम बाजार दर निर्धारित किया जाय,** ताकि आम जनता को सुगमतापूर्वक बालू उपलब्ध हो सके। एतद् संबंधी बैठक में जिला के पुलिस अधीक्षक को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग लेने का अनुरोध किया जाय।

इसकी सूचना तीन दिन के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को दी जाये।

अनुलग्नकः–पूर्व प्रेषित प्रसंगाधीन पत्रों की छायाप्रति।

विश्वासभाजन
ह0/–
प्रधान सचिव

ज्ञापांकः–../एम0, पटना, दिनांक ....
प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार/पुलिस महानिदेशक, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
प्रधान सचिव

ज्ञापांकः–.........4333........../एम0, पटना, दिनांक 26/11/18..........
प्रतिलिपिः–सभी पुलिस अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

AA 26/11
प्रधान सचिव